न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 27/2015

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
कानाराम पुत्र सुखा		सरकार जरिए लैण्ड होल्डर
जाति-जाट, निवासी-रामावास खुर्द		तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली		जिला-पाली (राज०)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act., 1955 एवं 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 **तारीख रजू:12.03.2015**

उपस्थितः. 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

2. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 14.03.2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया हैं कि सरहद मौजा-रामावास खुर्द में वादी की खातेदारी, पैतृक, पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की जमीन ख०नं० 147 रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही दोयम, ख०नं० 159 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही दोयम, ख०नं० 160 रकबा 16 बिस्वा किस्म गै०मु० बेरा की आई हुई हैं। वादी के पिता फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण भरा गया, उसमें वादी का नाम टोडा दर्ज कर दिया जो गलत हैं। जबकि वादी का नाम कानाराम ही है, वादी के बड़े भाई व वादी के माता-पिता टोडा कह पुकारते थे। इसलिए विरासत का म्युटेशन भरा गया उस समय वादी के परिवार वालों ने वादी का नाम कानाराम के स्थान पर टोडा लिखा दिया जो गलत है, जिसको वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। वादी बालिक होने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा परिचय पत्र बनाया उसमें भी कानाराम लिखा गया है जो सही व सत्य है। बाद में वादी ने राशन कार्ड बनाया, भारतीय जीवन बीमा निगम में पॉलिसी करवाई, बिजली बिल, गैस कनेक्शन बैंक में खाता खुलवाया व डी.एल. आधार कार्ड बनाया तब उक्त सभी दस्तावेज में वादी का नाम कानाराम लिखा हुआ हैं, जो सही व सत्य हैं। इसलिए दावा के पद संख्या एक में वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड में टोडा के स्थान पर कानाराम का नाम दर्ज करवाने की घोषणा व दुरूस्ती वादी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। उक्त दस्तावेज की प्रति दावा के साथ पेश किये हैं। वादी कानाराम अब उक्त जमीन पर राज्य सरकार की योजना के तहत् किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए अपने नाम की आराजी की नकलें लेकर बैंक में गया तो बैंक अधिकारियों ने बताया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड में कानाराम के स्थान पर टोडा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दर्ज हैं इसलिए बैक से ऋण नहीं मिल सकता। तब वादी को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि
मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हैं, इसलिए अब श्रीमान् के समक्ष घोषणा का
दावा पेश किया हैं। कानाराम व टोडा एक ही व्यक्ति है यानि वादी के पिता सुखा के
तीन जायन्दा पुत्र हैं वादी टोडा के स्थान पर कानाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है
इसमें किसी खातेदार को कोई आपति व एतराज नहीं हैं। वादी को हमेशा कानाराम
के नाम से जाना जाता हैं। सुखा के टोडा के नाम कोई सन्तान नहीं हैं। वादी ने
पाली में एक रहवासी प्लोट व वाहन खरीदा उसके दस्तावेज में भी वादी का नाम
कानाराम दर्ज हैं, जो सही है, इसलिए अब राजस्व रेकर्ड में भी टोडा के स्थान पर
कानाराम दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। वादी का बिनाय दावा दिनांक 10.02.2015
को प्रतिवादी को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने का कहा तो प्रतिवादी के
साफ मना करने पर बमुकाम जैतारण व रामावास में पैदा हुआ। इस प्रकार माफिक
दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी का टोडा के स्थान पर दुरूस्त नाम
कानाराम दर्ज किये जाने की घोषणा करने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद
दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया
गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण आज राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा में
उपस्थित आए। ज0दा0 पेश नहीं करना चाहते हैं, ज0दा0 बन्द किया जाता है।
वकील वादीगण ने शहादत वादीगण PW-1 कानाराम का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश
किया, सा0मि0 किया गया। वकील वादी ने सरपंच ग्राम पंचायत रामावास कलां
द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र दिनांक 14.03.2015 प्रदर्श- Ex-1, राशन कार्ड Ex-2 ए, LIC
पॉलिसी संख्या 108021716 Ex-3 ए, बिजली बिल संख्या 3204210732377
दिनांक 19.06.2015 Ex-4 ए, गैस डायरी संख्या 1193322/R10009 Ex-5 ए,
एस0बी0आई0 खाता सं0 33310381513 Ex-6 ए, आधार कार्ड संख्या
517476086366, Ex-7 ए ड्राईविंग लाईसेंस सं0 RJ/22/DLC/25220 दिनांक
03.01.2015 Ex-8 ए तथा सरपंच ग्राम पंचायत रामावास कलां द्वारा प्रदत्त
प्रमाण-पत्र दिनांक 14.03.2015 Exp-9 हैं। शहादत वादीगण PW-1 के शपथ-पत्र
का मुख्य परीक्षण करवाया जाकर उक्त दस्तावेजात Ex-1 ए से 8 ए तथा Ex-9, को
प्रदर्शित करवाया गया, सा0मि0 हैं।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया
कि वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि दस्तावेजात प्रदर्श Ex-1 ए से 8 ए तथा
सरपंच द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र दिनांक 14.03.2015 एवं शहादत वादी PW-1
कानाराम के तस्दीक सुदा शपथ-पत्र से होती हैं। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया
जाकर वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम टोडा पुत्र सुखा के
स्थान पर दुरूस्त नाम कानाराम पुत्र सुखा जरिए शुद्धि-पत्र दर्ज करवाया जाना उचित
प्रतीत होते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

—॥ आदेश ॥—

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा-रामावास खुर्द पटवार मण्डल-रामावास कलां तहसील-जैतारण में स्थित ख0नं0 147, 159 व 160 कुल किता 3 रकबा 98=04 बीघा चा0दो0 व गै0मु0 बेरा की भूमि में वादी के गलत दर्ज नाम टोडा पुत्र सुखा के स्थान पर कानाराम पुत्र सुखाराम जरिए शुद्धि-पत्र दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त इन्द्राज जरिए शुद्धि-पत्र किया जावें। डिकी पर्चा पृथक से बनाया जाकर शा0मि0 हो। तहसीलदार जैतारण को डिकी पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना संगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 14.03.2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाज़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
कानाराम पुत्र सुखा		सरकार जरिए लैण्ड होल्डर
जाति–जाट, निवासी–रामावास खुर्द		तहसीलदार, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		जिला–पाली (राज०)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती अन्तर्गत मु०न०ः रा०वा० स०ः27/2015

धारा 88 R.T.Act., 1955 एवं 136

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा–रामावास खुर्द पटवार मण्डल–रामावास कलां तहसील–जैतारण में स्थित ख०नं० 147, 159 व 160 कुल किता 3 रकबा 98=04 बीघा चा०दो० व गै०मु० बेरा की भूमि में वादी के गलत दर्ज नाम टोडा पुत्र सुखा के स्थान पर कानाराम पुत्र सुखाराम जरिए शुद्धि–पत्र दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त इन्द्राज जरिए शुद्धि–पत्र किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14.03.2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	2=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजानः–	7=00	मिजानः–	—नील—

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner